विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110 002
OFF. : (011) 23234019
: (011) 23236350
FAX : (011) 23239659
E-mail : cm@ugc.ac.in

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो॰ वेद प्रकाश
उपाध्यक्ष

Prof. Ved Prakash
Vice-Chairman
एवम्
अध्यक्ष (कार्यकारी)

अर्द्धशासकीय पत्र सं. एफ 1–1/2012(सी एम.)

5 जनवरी, 2012

प्रिय उप–कुलपति महोदय,

जैसा कि आप को ज्ञात है, प्रत्येक विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों का दौरा करने के लिए, विशेषज्ञ समितियों को प्रतिनियुक्त किये जाने की परम्परा है तथा इसी के आधार पर विश्वविद्यालय को निधि आवंटित की जाती है, ताकि विश्वविद्यालयों के अपने विकासात्मक आवश्यकता संबंधी प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत निर्दिष्ट उद्देश्यों को उपलब्ध किया जा सके।

गत अनुभव द्वारा यह देखा गया है कि उपरोक्त प्रणाली के अन्तर्गत, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय आवंटन संप्रेषित करने में निरन्तर ही विलम्ब होता रहा है जिसके विभिन्न कारण हैं, यथा विशेषज्ञ समितियों के गठन के समय अनुभवी व्यक्तियों की अनुपलब्धता, अनुकूल समय पर विश्वविद्यालयों में दौरे के संयोजन के लिए संभार तन्त्र का अभाव, विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो के अध्ययन हेतु समय का अभाव एवं विश्वविद्यालयों को सुनिश्चित निधि के आवंटन को अन्तिम रूप देने के निर्णय में देरी। इन समस्त तथ्यों का जो एक मुख्य परिणाम सामने आया है, वह है–योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा विश्वविद्यालयों को आवंटित निधियों का अल्प–उपयोग।

यूजीसी ने सुधारात्मक रूप से एक निर्णय लिया है कि जिन विशेषज्ञ समितियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में, सामान्य विकास योजना अनुदानों को निर्धारित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता था–उस समस्त प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया जाये। तदनुसार, विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी भविष्यगत योजनाओं को तैयार करने में सम्पूर्णतः स्वायत्तता होगी तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात, इन योजनाओं को विचारार्थ यूजीसी को प्रस्तुत कर दिया जाए। यह भी विशिष्ट रूप से देखा जाए कि ऐसे प्रस्तावों को भविष्य में संकाय के विशिष्ट सदस्यों के स्तर पर तय करके इन्हे, विभागीय परामर्श बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति एवं कार्यकारी परिषद अथवा इसके समकक्ष निकायों द्वारा विधिवत् अनुमोदित करके उनको पारित किया जाना चाहिए। आशा है कि यूजीसी द्वारा जो विश्वास पुनर्स्थापित किया गया है, उसके द्वारा वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व की प्राप्ति होगी। अंतत, ऐसे समस्त प्रस्ताव यूजीसी स्तर पर, विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्लेषित किए जाएंगे।

इस संबंध में, आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना(12th FYP) का दस्तावेज, शीर्षक **"उच्च शिक्षा में समावेशन एवं गुणात्मक विस्तारण"** भी अग्रसारित करना चाहता हूँ। यह दस्तावेज एक ऐसे विस्तृत विचार–विमर्श का निष्कर्ष है जिसको यूजीसी द्वारा समन्वित किया गया था।

....................2

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-110 002
OFF. : (011) 23234019
: (011) 23236350
FAX : (011) 23239659
E-mail : cm@ugc.ac.in

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो॰ वेद प्रकाश
उपाध्यक्ष

Prof. Ved Prakash
Vice-Chairman
एवम्
अध्यक्ष (कार्यकारी)

इसमें आप पायेंगे, उच्च शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण अध्ययन–अध्यापन से संबद्व तथ्यात्मक ऐसे मामले जो संख्यात्मक अभिवृद्वि, सामाजिक विषमताओं एवं तथ्यात्मक समस्याओं द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। इस दस्तावेज द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक उत्कृष्ट एवं समता प्रेरित विस्तारण के अतिरिक्त संभावित सारतत्वों की विचारणाओं को अभिग्रहित करने का प्रयास किया गया है।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि विश्वविद्यालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपके विश्वविद्यालय के समस्त प्रस्तावों को आकारित करने की प्रक्रिया के संबंध में तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। संलग्न दस्तावेज में दर्शाये गए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दृष्टिगत किया जाए। चूँकि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार द्वारा संसाधनों के वास्तविक आवंटन को अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है, अतः आपसे अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर, 11वीं पंचवर्षीय योजना के उस आवंटन को जो कि यूजीसी द्वारा विकासगत एवं विलयित योजनाओं के लिए संप्रेषित किया जा चुका है उसके दो स्वरूपों को विकसित करें जिससे एक में तीन गुनी तथा दूसरे में पांच गुनी वृद्धि हो। विश्वविद्यालय के समस्त सांविधिक निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए आपके वे सभी प्रस्ताव, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में दिनाँक 15 मार्च, 2012 तक या उससे पूर्व पहुँच जाने चाहिएं।

आपके पास 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रारूप शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जाएगा।

सादर।

भवदीय

वेद प्रकाश 5/1/12

(वेद प्रकाश)

संलग्नकः (उपरोक्तानुसार)

प्रेषितः

यूजीसी द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों के उप कुलपति